EMAIL

महत्वपूर्ण

संख्या–383डब्लू/9–7–16–228(रिट)/2016

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7

लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

विषयः नागर निकायो मे स्थापित आश्रय गृहों (शेल्टर होम्स) की समुचित व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे।

महोदय,

अवगत है कि शहरी क्षेत्र के बेघर, आश्रयहीन एवं निर्बल लोगो के उपयोग के उददेश्य से नगरीय क्षेत्रो में आश्रय गृहों की स्थापना की गयी है। नगरीय क्षेत्रो में स्थापित आश्रय गृहों (शेल्टर होम्स) की समुचित व्यवस्था एवं उनमे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नगरीय क्षेत्रो मे स्थापित आश्रय गृहो (शेल्टर होम्स) को मूलभूत सुविधाओ के साथ 24 घण्टे प्रयोग मे लाया जाय तथा उनका वर्षभर समुचित संचालन सुनिश्चित किया जाये।

3. नगरीय क्षेत्रो में स्थापित आश्रय गृहों (शेल्टर होम्स) में मूलभूत सुविधाएं यथा कम्बल, अलाव, बिस्तर, बेडिंग्स, शौचालय, लाकर, स्वच्छ पेयजल, फर्स्ट–एड एवं प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। आश्रय गृहों (शेल्टर होम्स) के सुचारू संचालन हेतु पर्याप्त कर्मचारियो की व्यवस्था की जाय तथा आश्रय गृहों (शेल्टर होम्स) में पर्याप्त साफ–सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखा जाये।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ।
3. श्री आर0के0एस0 चौहान, मुख्य स्थायी अधिवक्ता–2, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को जनहित याचिका/नोटिस सं0–56365/2016 जन अधिकार मंच बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के मामले में मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराये जाने हेतु।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

sd7 go